

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(ओ 20 रूल 6-7जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)
राजस्व वाद : इस्तकरार हक व खाता विभाजन,

अमरजीत कौर पत्नी जसमेल सिंह जाति तरखान सा. संगरिया जिला हनुमानगढ
- वादीया

बनाम

1 मलकीत सिंह पुत्र मखन सिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया
जिला हनुमानगढ

2 अवतार सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया
जिला हनुमानगढ

चेत सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला
हनुमानगढ

3 जगरूप सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया
जिला हनुमानगढ

4 अजित सिंह पुत्र निधान सिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला
हनुमानगढ

5 ठाकर सिंह पुत्र निधान सिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला
हनुमानगढ

6 नक्षत्र सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला
हनुमानगढ

7 नमतेज सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया
जिला हनुमानगढ

8 नाहर सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला
हनुमानगढ

9 मलकीत सिंह पुत्र निधान सिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया
जिला हनुमानगढ

10 मेहर सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला
हनुमानगढ

11 राजवीर सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया
जिला हनुमानगढ

12 शिवराज सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया
जिला हनुमानगढ

13 सरजीत कौर पत्नी गुरदीप सिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया
जिला हनुमानगढ

14 सरवन सिंह पुत्र विचित्र सिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला
हनुमानगढ

15 हमीर कौर पत्नी गुलाब सिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला
हनुमानगढ

16 हरदेव सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला
हनुमानगढ

17 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा हरीपुरा तह. संगरिया
18 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया

- प्रतिवादीगण


मु. स. 44/2023

दावा अन्तर्गत धारा 88/53 आर.टी.ए.

महायक/कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अधिवक्ता वादीगण व अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से दिया जाता है कि वादीगण का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। तथा वादीगण व उक्त प्रतिवादीगण का निम्नानुसार खाता अलग कायम किया जावे :-

क 13 पीटीपी



अमरजीतकौर पत्नी जसमेलसिंह जाति तरखान सा. संगरिया की कब्जा काश्त:-

प.न.	मु.न.	किला नं.
121/152	55	6/1/0.228 हैं 6/2/0.025 हैं 7ता14/0.253 हैं 15/1/0.228 हैं 15/2/0.025 हैं 17ता24/0.253 हैं प्र कुल 4.554 हैं नहरी मय गौ.मु

नक्षत्रसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह फौत कब्जा वारिसान जाति जटसिख सा. शाहपीनी

प.न.	मु.न.	किला नं.
121/153	59	10,11,20,21/0.253 हैं प्र कुल 1.012 हैं नहरी

जगरूपसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह फौत कब्जा वारिसान जाति जटसिख सा. शाहपीनी

प.न.	मु.न.	किला नं.
121/153	59	2/1/0.228 हैं 2/2/0.025 हैं 9/0.126 हैं उतर कुल 0.379 हैं नहरी

जोतसिंह पुत्र निधानसिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी 1265/5060 हि राहिन

आरएमजीबी शाखा हरिपुरा ठाकरसिंह पुत्र निधानसिंह 1265/5060 जाति जटसिख

सा.शाहपीनी राहिन आरएमजीबी शाखा हरिपुरा मलकीतसिंह पुत्र निधानसिंह

1265/5060हि राहिन आरएमजीबी शाखा हरिपुरा नाहरसिंह पुत्र जगरूपसिंह

1265/10120 हि जाति जटसिख सा. शाहपीनी राहिन आरएमजीबी शाखा हरिपुरा

शिवराजसिंह पुत्र जगरूपसिंह 1265/10120 हि जाति जटसिख सा. शाहपीनी राहिन

आरएमजीबी शाखा हरिपुरा

प.न.	मु.न.	किला नं.
120/152	54	16/1/0.228 हैं 16/2/0.025 हैं 25/1/0.228 हैं 25/2/0.025 हैं

120/153	60	5,6/0.253 हैं प्र 11ता25/0.253 हैं प्र
---------	----	--

121/153	59	1/1/0.228 हैं 1/2/0.025 हैं कुल 5.060 हैं नहरी मय गौ.मु
---------	----	--

महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

हरचेतसिंह पुत्र अजायबसिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी

प.न. मु.न. किला नं.
121/153 59 3/1/0.228 हैं 3/2/0.025 हैं 4/1/0.228 हैं
4/2/0.025 है 8/0.095 हैं उतर दिशा कुल 0.601 हैं

हरेदबसिंह पुत्र अजायबसिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी

प.न. मु.न. किला नं.
121/153 59 13/0.095 हैं 18,23/0.253 हैं प्र कुल 0.601 हैं

राजवीरसिंह पुत्र अजायबसिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी

प.न. मु.न. किला नं.
121/153 59 8/0.158 हैं 9/0.127 हैं 12/0.158 हैं 13/0.158 हैं
कुल 0.601 हैं

लौतेजसिंह पुत्र अजायबसिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी

प.न. मु.न. किला नं.
121/153 59 12/0.095 है 19,22/0.253 हैं प्र कुल 0.601 हैं

नोट:- अवतारसिंह पुत्र जोगन्द्रसिंह, मलकीतसिंह पुत्र मक्खनसिंह, सरजीतकौर पत्नी गुरदीपसिंह, सरवनसिंह पुत्र विचित्रसिंह, हम्मीरकौर पत्नी गुलाबसिंह का कोई कब्जा नहीं होना बताया गया है। अतः इनका नाम कलमजन किया जावे।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भु.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक:- प्रा. डिक्री/भू.अ./24/3097 दिनांक 20-08-2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज.......... मुब्लिक.......... बाबत.......... खर्चा मुकदमें के मय शुदवा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 28.8.24 को जारी की गई।

नोट :-यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया